पत्र सख्या -25-क-परिपत्र -सचलदल-10-11/ 1622/1011075 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 30 दिसम्बर, 2010

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/ डिप्टी कमिश्नर/
असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

Key word 1-47-IMP0RT/ Verification Forms / Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-सचलदल-25-क-परिपत्र / 2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01-01-08 से प्रदेश में वैट प्रणाली लागू हो जाने के क्रम में पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों के लिए माल के परिवहन के दौरान जॉच के सम्बन्ध में विस्तार से मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी किये गये है ।

इस परिपत्र में पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में बिन्दु-1 में यह निर्देश दिये गये है कि यदि, माल के साथ प्रदेश के पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी मुद्रित तथा क्रमांकित टैक्स इन्वायस / सेल्स इनवायस / चालान / बिल / कैशमेमो / ट्रॉसफर इनवायस में से कोई एक डाकूमेन्टस उपलब्ध हो तो व्यापारी के अभिलेख जॉच हेतु नहीं मॅगाये जायेंगे ।

वाणिज्यकर अधिनियम की धारा-22 में व्यापारी द्वारा जारी किये जाने वाले कर बीजक / विक्रय बीजक के सम्बन्ध में व्यवस्था अंकित है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम-41(4) में निम्न व्यवस्था है :-

" चालान या अंतरण बीजक की मूल एवं द्वितीय प्रति माल परिवहनकर्ता को माल को पारेषिती के परिदान हेतु दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति उस माल के साथ पारेषिती को देगा । पारिषेती द्वारा द्वितीय प्रति उस व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी जिसने माल का प्रेषण या परिदान किया है ।

प्रतिबंध यह है कि जहॉ व्यवहारी या उसके प्रतिनिधि को माल का परिदान विक्रेता के व्यापार स्थल पर किया गया हो, क्रेता व्यवहारी माल की प्राप्ति स्वीकार करने के पश्चात चालान की द्वितीय प्रति विक्रेता व्यवहारी को दे देगा । "

नियमावली के नियम-44(7) में निम्न व्यवस्था है :-

" प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक और बिल मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा सजिल्द पुस्तक से जारी किया जायेगा । मूल प्रति के रुप में चिन्हित प्रथम प्रति एवं द्वितीय प्रति के रुप में चिन्हित द्वितीय प्रति क्रेता को जारी की जायेगी तथा कार्यालय प्रति के रुप में चिन्हित तृतीय प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी । द्वितीय प्रति माल के गंतव्य तक परिवहन किए जाने के दौरान माल के साथ रखी जायेगी । "

उक्त से स्पष्ट है कि चालान या अन्तरण बीजक की दोनों प्रतियॉ तथा टैक्स इनवायस या सेल्स इनवायस की द्वितीय प्रति परिवहित किए जा रहे माल के साथ उपलब्ध होना आवश्यक है । अत: परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र / 2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 से जारी बिन्दु -1 के सम्बन्ध में उपर्युक्त रुप से स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि माल के परिवहन के साथ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुरुप प्रपत्र न पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
6- सचलदल अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(एम0के0श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्यकर
मुख्यालय, लखनऊ ।